



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(भ्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



उप क्षेत्रीय कार्यालय / Sub-Regional Office
'पंचदीप भवन', पी-4, एम.आय.डी.सी., सातपुर नासिक-422007.
'Panchdeep Bhawan', P-4, M.I.D.C., Satpur, Nasik - 422007.
फोन: 0253-2351043 ई-मेल: jd-nasik@esic.nic.in

No:- 36-A/20/11/E/SSO(106968)/2024-Estt

Date:10.10.2025

Office Order No. 90 (A) of 2025

Sanction has been accorded by the competent authority for the grant of Earned Leave to Shri. Padmanath Parshuram Datar, Social Security Officer for period of 10 days i.e. 06.11.2025 to 16.11.2025. He is also hereby allowed to leave encashment of 10 (Ten) day's Earned Leave on availing Home Town LTC for the Block year 2022-2025 for visiting Home Town i.e. Aurangabad (Chh. Sambhajinagar).

After deducting the leave encashment for the 10 days the balance of - earned leaves remains in the earned leave account of Shri. Padmanath Parshuram Datar, Social Security Officer. The LTC claim shall be submitted within two months from the date of return journey.

It is certified that the aforesaid employee / officer is likely to be re-posted in the same post presently held by him at his present place after the expiry of leave period.

It is also certified that he would have continued to officiate in the present cadre, but for his proceeding on leave and his leave period would count for increment.

It is certified that the aforesaid employee has sought permission to leave Headquarters and prefixed and suffixed with holidays as applied for in the leave application deemed to have been sanctioned and permitted to leave Headquarters.

**Digitally signed by
Sandeep Kumar
Date: 14-10-2025
20:16:38**

Assistant Director (Estt)

To,
Shri. Padmanath P.
Datar,
Social Security Officer,
ESI Corporation,
DCBO, Ahmednagar.

Copy to :-

1. The Deputy Director, CRI Br., ESIC, SRO Nasik for information and necessary action.
2. The Asst Director, Accounts Br., SRO Nasik for information and necessary action.
3. Rajbhasha Branch, SRO, Nashik for translation.
4. Office Order file.
5. Personal file.

कार्यालय आदेश सं. 2025 का 90(A)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री पद्मनाथ परशुराम दातार, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी को दिनांक 06.11.2025 से 16.11.2025 तक दस दिनों की अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्हें अपने गृह नगर एल.टी.सी. (Home Town LTC) का लाभ लेते हुए 10 दिनों की अर्जित अवकाश नकदीकरण की भी अनुमति दी जाती है, जो ब्लॉक वर्ष 2022-2025 के लिए उनके गृह नगर औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर) की यात्रा हेतु है। 10 दिनों के अवकाश नकदीकरण की कटौती के उपरांत, श्री पद्मनाथ परशुराम दातार, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के अर्जित अवकाश खाते में शेष अर्जित अवकाश राशि बनी हुई है। एल.टी.सी. दावा वापसी यात्रा की तिथि से दो माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी/अधिकारी अवकाश अवधि समाप्त होने के पश्चात अपने वर्तमान पद पर, अपने वर्तमान स्थान पर पुनः पदस्थापित किए जाने की संभावना है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि वे अवकाश पर न गए होते, तो वर्तमान पद-स्थापना में निरंतर कार्यरत रहते, अतः उनकी अवकाश अवधि वैतनवृद्धि (increment) हेतु गणनीय होगी।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त कर्मचारी ने मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त की है तथा अवकाश आवेदन में बताए अनुसार अवकाश से पहले और बाद के अवकाश दिवस (prefixed/suffixixed holidays) को स्वीकृत माना गया है और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सहायक निदेशक (स्था.)

सेवा में,

श्री पद्मनाथ पी. दातार,
सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,
क.रा.बी.निगम,
डी.सी.बी.ओ., अहमदनगर

प्रति:-

1. उप निदेशक, रोकड़ शाखा, क.रा.बी.नि., उ.क्षे.का. नासिक — जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. सहायक निदेशक, लेखा शाखा, उ.क्षे.का. नासिक — जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. राजभाषा शाखा, उ.क्षे.का. नासिक — अनुवाद हेतु।
4. कार्यालय आदेश फाइल।
5. व्यक्तिगत फाइल।